स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

भारत सरकार

**Government of India**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल न. NCST/SER-226/MCOL/ 1/2022-SSW                                    दिनांक : - 26.05.2022

सेवा में,

श्री पी.एम. प्रसाद
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
दरभंगा हाउस, कच्ची रोड,रांची (झारखंड)- 834029
(दूरभाष : 651-236000, ईमेल:- cmd.ccl.cil@coalindia.in)

**विषय :-** अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी की मृत्युपरांत पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में श्रीमती सुरती देवी पति स्व. श्री बकू मांझी,(भूतपूर्व ड्रील मैन, तोपा कोलियरी) ग्रा. पो. - हेसागठा, जिला - रामगढ़ (झारखंड) का आवेदन- (W.P.(S) No. 4758 of 2017 में माननीय उच्च न्यायालय, रांची झारखंड के निर्णय दिनांक 04.04.2019 के परिप्रेक्ष्य में)।

महोदय ,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में 12.04.2022 को सायं 04:30 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर. एस. मिश्र)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि :-

श्री मती सुरती देवी पति स्व. श्री बकू मांझी,
ग्रा. पो.- हेसागठा, जिला-रामगढ़ (झारखंड)
दूरभाष न. :- 8409149687, 9934385527

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member, NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

*******

File No. NCST/SER-226/MCOL/1/2022-SSW

श्रीमती सुरती देवी पत्नी –स्व. बकु माझी (भूतपूर्व ड्रील मैन, तोपा कोलियरी) ग्राम और पोस्ट – हेसागठा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) पुत्र को Central Coalfields Limited (सीसीएल) में अनुकंपा नियुक्ति के विषय मे अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2022 को समय 4:30 बजे आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित अधिकारियों एव आवेदक की सूची परिशिष्ट पर है ।

श्रीमती सुरती देवी पत्नी –स्व. बकु माझी (भूतपूर्व ड्रील मैन, तोपा कोलियरी) ग्राम और पोस्ट – हेसागठा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) ने आयोग में सीसीएल में अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन दिया था । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नन्द कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को सीसीएल के अधिकारियों तथा आवेदिका के साथ बैठक आयोजित की थी। बैठक में दोनों पक्षो को सुनने के बाद आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-

- प्रकरण में सीसीएल द्वारा श्रीमती सुरती देवी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों के तहत नौकरी देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।
- कार्यवृत प्राप्त होने के पश्चात की गई कारवाई से एक माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

सीसीएल प्रशासन द्वारा श्रीमती सुरती देवी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति तथा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा WP(S) 4758 of 2017 में दिनांक 04.04.2019 में दिये गए निर्णय के अनुसार कारवाई नहीं की गयी, श्रीमती सुरती देवी ने पुनः आयोग से न्याय की मांग की। अतः आयोग ने दिनांक 12.04.2022 को 4:30 बजे आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता मे नई दिल्ली में सीसीएल के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक तथा आवेदिका के साथ बैठक आयोजित की।

बैठक में आवेदिका द्वारा बताया गया कि सीसीएल प्रशासन द्वारा आज तक पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीसीएल प्रशासन द्वारा कारवाई नहीं की गई है जिससे परिवार का भविष्य अंधकारमय लगता है ।

सीसीएल के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारियों ने बताया कि सीसीएल के नियमो के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देना असंभव है। इसके अलावा अन्य आर्थिक मुआवजे आवेदक को दिये जा चुके है । सीसीएल के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया की सीसीएल प्रशासन द्वारा आवेदिका के पुत्र को out sourcing के आधार पर सीसीएल में agent के द्वारा दीर्घ समय के लिए नौकरी प्रदान करा दी जाएगी।

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती सुरती देवी पत्नी –स्व. बकु माझी (भूतपूर्व ड्रील मैन, तोपा कोलियरी) ग्राम और पोस्ट – हेसागठा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) के अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को सीसीएल में अनुकंपा नियुक्ति के विषय मे अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, श्री अनंत नायक की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2022 को समय 4:30 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों /कर्मियों की सूची :-

- Central Coalfields Limited (सीसीएल)

1. श्री पी. एम. प्रसाद , अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
2. श्री उमेश सिंह, महा प्रबन्धक (कार्मिक )
3. श्री मनीष कुजूर, संपर्क अधिकारी

- आवेदक

1. श्रीमती सुरती देवी
2. श्री झरी माझी